रिक्ति अधिसूचना 7,8 व 9 के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल [एफ ए क्यू]

----

1. क्या एक बार चुना गया परीक्षा-केंद्र बाद में बदल सकता है ?

जवाब: लिखित परीक्षा केलिए केंद्र एक बार प्रस्तुत किए जाने के बाद फिर बदल नहीं सकता। इसलिए इसका चयन ध्यान पूर्वक किया जाना चाहिए।

2. क्या अधिसूचना 8 में बताए गए पदों केलिए फीस चुकाना है?

जवाब : यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अधिसूचना 8 के सभी पद अपंगता वाले [पी डब्लयू डी] उम्मीदवारों केलिए हैं। यह भी बताया गया है कि पी डब्लयू डी उम्मीदवारों से कोई फीस नहीं लिया जाएगा।

3.आवेदन प्रपत्र की किसी प्रविष्टि में यदि कोई गलती आ जाती है तो, उसे कैसे ठीक किया जा सकता है ?

जवाब : यदि आवेदन अभी तक अधिसूचना में दिए गए पते पर नहीं भेजा गया है तो, उम्मीदवार सचिव, स्पाइसेस बोर्ड के पते पर भेजे जाने वाले प्रावरण पत्र में संशोधन का विवरण दे सकते हैं और अधिसूचना में बताए गए पते पर आवेदन और अन्य संगत समर्थक दस्तावेजों सहित भेज सकते हैं।

यदि आवेदन संगत समर्थक दस्तावेज़ सहित अधिसूचना में दिए गए पते पर भेज चुके हैं तो , उम्मीदवार संशोधन के विवरण सहित एक पत्र अधिसूचना में दिए गए पते पर सचिव,स्पाइसेस बोर्ड को भेज सकते हैं। लिफाफे के ऊपर 'आवेदन में संशोधन संबंधी विवरण ' लिखना चाहिए। इसके दौरान उम्मीदवार पत्र की स्कैन की गई प्रति sbrecruitment2015@gmail.com. में ई-मेइल भी कर सकते हैं। यह सूचना [हार्ड कॉपी] स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को या उसके पूर्व स्पाइसेस बोर्ड में प्राप्त होनी चाहिए। ऑन-लाइन तरीके से प्रस्तुत करने और आवेदन के प्रिंट आउट की हार्ड कॉपी संगत समर्थक दस्तावेजों सहित स्पाइसेस बोर्ड के मुख्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि संबंधी जानकारी केलिए अधिसूचना देखें।

4. स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची को पहले ही भेजे गए आवेदन के प्रिंट आउट के साथ यदि कोई संगत समर्थक दस्तावेज़ नहीं रखा गया है तो, अतिरिक्त दस्तावेज़ भेजने का क्या उपाय है?

जवाब : अधिसूचना में यह स्पष्ट: बताया गया है कि आवेदन के साथ संगत समर्थक दस्तावेज़ और डिमांड ड्राफ्ट(यदि लागू है तो,) ठीक रूप से संलग्न किया जाना चाहिए। संगत समर्थक दस्तावेजों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- *योग्यता संबंधी दस्तावेजों की स्वत: साक्ष्यांकित प्रति*
- *अनुभव प्रमाणपत्र / शंसा पत्र (पद केलिए यदि अपेक्षित है तो) की स्वत: साक्ष्यांकित प्रति*
- *जाति प्रमाणपत्र अथवा अनुरक्षण प्रयोजन / आयु में ढील / फीस में ढील हेतु अपेक्षित अन्य दस्तावेज़ की स्वत: साक्ष्यांकित प्रति*
- *जन्म -तिथि के प्रमाण की स्वत: साक्ष्यांकित प्रति*
- *शोध प्रकाशनों (यदि पद केलिए अपेक्षित है तो) की स्वत: साक्ष्यांकित प्रति*
- *शारीरिक अपंगता के प्रमाणपत्र (यदि अपेक्षित है तो) की स्वत: साक्ष्यांकित प्रति*
- *अन्य कोई भी दस्तावेज़, जो उम्मीदवार आवेदित पद केलिए संगत मानता है, की स्वत: साक्ष्यांकित प्रति*

ऐसे मामलों में,जहां कहीं उम्मीदवार ने अपने आवेदन के साथ उपर्युक्त दस्तावेज़ों में से कोई संलग्न न किया हो, तो उम्मीदवार अधिसूचना में दिये गए पते पर सचिव स्पाइसेस बोर्ड को संलग्न दस्तावेज़ों के संबंध में विवरण सहित पत्र भेज सकता है। लिफाफे के ऊपर " .... पद केलिए समर्थक दस्तावेज़ों संबंधी विवरण " लिखा जाना चाहिए। इसी बीच, उम्मीदवार पत्र की स्कैन की गई प्रति sbrecruitment2015@gmail.com. *में ई-मेइल भी कर सकते हैं। यह सूचना [हार्ड कॉपी] स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को या उसके पूर्व स्पाइसेस बोर्ड में प्राप्त होनी चाहिए। ऑन-लाइन तरीके से प्रस्तुत करने और आवेदन के प्रिंट आउट की हार्ड कॉपी संगत समर्थक दस्तावेजों सहित स्पाइसेस बोर्ड के मुख्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि संबंधी जानकारी केलिए अधिसूचना देखें।*

5.विभिन्न पदों केलिए योग्यताओं की अपेक्षा से संबंधित प्रश्न

जवाब : उम्मीदवार को रिक्ति अधिसूचना में सभी पदों केलिए बताए गए स्वत:

स्पष्ट विवरण समझने की उचित कोशिश करनी चाहिए।

6. क्या पूरे भारत के सभी उम्मीदवारों केलिए ऑफ लाइन आवेदन पर विचार किया जाएगा ?

जवाब : अधिसूचना में बताए गए विवरणों के अनुसार ही उम्मीदवारों के ऑफ लाइन आवेदनों पर विचार किया जाएगा।